

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:—अति.मु.न.नि./रा.आ.म./जयपुर/2011-12/1218

दिनांक: 9-12-11

### कार्यालय-आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर की राज आंगन योजना, जयपुर में आवासों के भवन निर्माण स्वीकृति दिये जाने के संबंध में पृथक से भवन विनियम जारी किये जाते हैं।

राज आंगन योजना में भवन अनुमति इन विनियमों के अनुसार ही दी जावेगी। नियमानुसार उपरोक्त विनियम तुरन्त प्रभाव से लागू माने जावेंगे। इस आदेश को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


1. उक्त योजना में सभी साईज के भूखण्डों में भूतल व प्रथम तल ही निर्मित किये जा सकेंगे।
2. भवन का Front Elevation योजना में परिकल्पित Front Elevation के अनुसार यथावत् रखा जाना आवश्यक होगा।
3. सभी भूखण्डों में Front व Side सेट बैक्स योजना में रखे गए टाईप डिजाईन अनुसार (परिशिष्ट "अ") ही रखे जायेंगे। यदि भूखण्डधारी पुनः निर्माण करना चाहता है तो भी न्यूनतम Front व Side सेट बैक्स टाईप डिजाईन के अनुसार ही रहेंगे।
4. विभिन्न साईज के भूखण्डों में पिछे का सेट-बैक्स निम्नानुसार होंगे।

क्र.सं	भूखण्ड की साईज व टाईप	प्रस्तावित पीछे का न्यूनतम सेट बैक्स
1.	E 500 वर्गमीटर	3 मीटर
2.	D 750 वर्गमीटर	4.5 मीटर
3.	C 1000 वर्गमीटर	4.5 मीटर
4.	B 1250 वर्गमीटर	6.0 मीटर
5.	A 1500 वर्गमीटर	6.0 मीटर

5. F.A.R. :- प्रस्तावित सेट-बैक्स सीमा के अन्दर जो प्राप्त होता है देय होगा।
6. आच्छान्दन :- सेट-बैक्स क्षेत्र में जो भी प्राप्त होता है देय होगा।


७८

7. वर्षा जल संग्रहण हेतु इस योजना में केन्द्रीयकृत सामुहिक वर्षा जल संग्रहण हेतु पहले से ही प्रावधान किया हुआ है। अतः व्यक्तिगत स्तर पर सभी भूखण्डधारियों को वर्षा जल संग्रहण युनिट लगाया जाना आवश्यक नहीं है। सभी भूखण्डधारियों द्वारा सामुहिक वर्षा जल संग्रहण लाईन/केन्द्र से अपने भवन का वर्षा जल को जोड़ना आवश्यक होगा।
8. भूखण्डधारियों को योजना में प्रस्तावित प्रवेश/निकास द्वार पूर्व में जो योजना/टाईप डिजाईन में दिया गया है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
9. उक्त स्वतन्त्र आवास के भूखण्डों में सैट बैक्स एरिया में स्वयं के वाहनों की पार्किंग एक के पिछे एक अनुज्ञय होगी। आगन्तुक पार्किंग दिया जाना आवश्यक नहीं होगा। पार्किंग के अन्य प्रावधान यथा ECU साईज Number of ECU, NBC कोड के अनुसार होगी।
10. भवन अनुमति की स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक द्वारा जारी की जायेगी।
11. भूखण्डधारी यदि स्वीकृति विरुद्ध निर्माण करता है तो इस कार्यालय द्वारा जारी भवन अनुमति स्वतः निरस्त होगी।

  
 आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/निदेशक विधि/वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. अति० मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. अति० मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/पीएण्डएम राज० आवा० म०, जयपुर।
10. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. मास्टर फाईल।

  
 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक